

10

-2-

90/83 के पत्थर नम्बर 104/312 (9) के किला नम्बर 2, 3, 8, 9, 12/.139, 13/.139 कुल 1.290 है., प्रतिवादी संख्या 1 समचन्द्र को चक 28 एस.एस.डब्ल्यू तहसील हनुमानगढ़ के खाता संख्या 90/83 के पत्थर नम्बर 104/312 (9) के किला नम्बर 1, 10, 11, 20, 21 कुल 1.265 है., प्रतिवादी संख्या 2 बृजलाल को चक 28 एस.एस.डब्ल्यू तहसील हनुमानगढ़ के खाता संख्या 90/83 के पत्थर नम्बर 104/312 (9) के किला नम्बर 14/.114, 15/.114, 16, 17, 24, 25 कुल 1.240 है., तथा प्रतिवादी संख्या 3 हेतराम को चक 28 एस.एस.डब्ल्यू तहसील हनुमानगढ़ के खाता संख्या 90/83 के पत्थर नम्बर 104/312 (9) के किला नम्बर 4, 5, 6, 7, 14/.139, 15/.139 कुल 1.290 है. का खाता विभाजन कर रकमराज अलग कायम करने के आदेश दिये जाते हैं। .

तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भारमुक्त होने की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बाराणी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना-अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक १३-१२-२० को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

मोहर

(कपिल यादव)

उपखण्ड अधिकारी एवम  
पदेन सहायक कलैक्टर  
हनुमानगढ़